

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

वादी  
रेवन्तसिंह / उगमसिंह  
निवासी-लाम्बा तहसील नावां  
किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

बनाम

प्रतिवादीगण  
देवाराम पुत्र मुनाराम  
निवासी लाम्बा तह. नावां  
मुकदमा नं. 04 / 2025

दिनांक	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
1.2025	<p>वादीगण की ओर से यह वाद अधिवक्ता आनन्दीलाल कुमावत ने अधीन धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर मिसल दिनांक 14.02.2025 को पेश हो।</p> <p>14/2/25 पत्रावली पेश हुई। उक्त कुलकर्णी उक्त पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 7/4/25 को पेश हो</p> <p>(जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p>	
7.4.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी अनुपस्थित। पक्षकारान तथा पक्षकारान के अधिवक्तागण को आवाजे लगवाई गई। परन्तु कोई पक्षकारान/अधिवक्ता हस्तगत प्रकरण में हाजिर नहीं आये। अधिवक्ता व पक्षकारान बावजूद तारीख पेशी सूचना एवं उक्त प्रकरण में उपस्थिति के लिए आवाजे लगाने पर भी गैर हाजिर रहे है। अतः प्रकरण हाजा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>(जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) उपखण्ड अधिकारी नावां</p>	